

बिक्री की घोषणा

वसूली अधिकारी का कार्यालय कृष्ण वसूली न्यायाधिकरण, रांची, झारखण्ड

बाद सं. ओ. ए. बाद सं. 328/2015

दली प्रक्रिया सं. 60/2016

बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के लिए बकाये कृष्ण वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आवक अधिनियम, 1961 के द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अंतर्गत बिक्री की घोषणा

बैंक ऑफ बड़ौदा, रातू रोड शाखा, रांची बनाम मेसर्स द नेचुरल आटा एवं अन्य

सेवा में

(1). मेसर्स द नेचुरल आटा, एक साझेदारी फर्म, जिसका पंजीकृत कार्यालय ग्राम - सहर सैमर, थाना - रातू, जिला - रांची में स्थित है तथा इसकी एक इकाई पांडु, बेरा सिटी, नगड़ी, जिला - रांची - 835303 में भी है।

(2). श्री प्रदीप बैठा, पिता महादेव बैठा, निवासी बकान संख्या 35-A, कुटे, पोस्ट - न्यू सराय, थाना - जगन्नाथपुर, जिला - रांची।

(3). श्री रमेश महतो, पिता तेतरु महतो, निवासी बकान संख्या 42, सहर सैमर टोली, पोस्ट एवं थाना - विस्का नगड़ी, जिला - रांची - 835303

(4). श्रीमती गीता देवी, पति बिनोद कुमार बैठा, निवासी तिरिल आश्रम, कुटे, पोस्ट - न्यू सराय, थाना - जगन्नाथपुर, जिला - रांची - 834004

1. जबकि आप प्रमाणपत्र के अनुसार भुगतान करने योग्य ब्याज एवं लागत सहित चौदहवीं अधिकांश, कृष्ण वसूली न्यायाधिकरण, रांची द्वारा जारी किये 2015 का ओ.ए. बाद सं. 328 में वसूली प्रमाणपत्र के संबंध में आपके द्वारा भुगतान रु. 56,07,014.00 (रुपये छप्पन लाख सात हजार चौदह मात्र) की राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं।

2. और जबकि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि में नीचे के अनुसूची में उल्लेखित संलग्न संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

3. तथा जबकि दिनांक 10.03.2026 तक उक्त के अंतर्गत रु. 56,07,014.00 (रुपये छप्पन लाख सात हजार चौदह मात्र) की राशि देय होगी, साथ ही 22.06.2015 से लेकर दावे की पूर्ण एवं अंतिम वसूली तक 10% प्रति वर्ष की दर से मासिक चक्रवृद्धि (मंथली रेस्ट) के साथ संवित (पेंडिंग लाइट) एवं भावी ब्याज देय होगा, इसके अतिरिक्त रु. 58,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) लागत के रूप में देय होंगे, जैसा कि प्रमाणपत्र में उल्लेखित है।

4. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, स्थगन के किसी भी आदेश की अनुपस्थिति में, उक्त संपत्ति को 04.06.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के बीच, यदि आवश्यक हो तो दोपहर 12:00 बजे के बाद 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ मेसर्स ई-प्रोक्युमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) के वेबसाइट <https://dr.lauctiontiger.net> के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" से ई-नीलामी और बोली द्वारा बेचा जायेगा।के बैंकसाइट <https://dr.lauctiontiger.net> के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" से ई-नीलामी और बोली द्वारा बेचा जायेगा।

5. निम्नलिखित जानकारी के लिए संपर्क करें: वसूली अधिकारी का कार्यालय, कृष्ण वसूली न्यायाधिकरण, रांची, संपर्क सं. 065-2214021 एवं सम्पत्ति निरीक्षण के लिये श्री संजीव कुमार वर्मा, मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ROSARB, रांची, मो. नंबर 7875641560 से संपर्क करें।

4.1 नीचे वर्णित अनुसूची में उपरोक्त नाम वाले प्रमाणपत्र देनदार की संपत्ति बेची जायेगी और उक्त संपत्ति से जुड़े हुए दायित्व और दावे जो कि सुनिश्चित किये गये हैं उनका विवरण अनुसूची में प्रत्येक लॉट के समक्ष वर्णित है।

4.2 अनुसूची में वर्णित लॉट के अनुसार संपत्ति की बिक्री की जायेगी। यदि संपत्ति की एक अंश की बिक्री से होने वाली वसूली राशि से संतुष्टि होती है बाकी संपत्ति की बिक्री तुरन्त रोक दी जायेगी। बिक्री तब भी रुक जायेगी यदि किसी लॉट में नीलामी बोली खत्म होने के संकेत होंगे, उक्त में वर्णित बकाया, ब्याज, लागत (बिक्री की लागत समेत) बिक्री संचालित करने वाले पदाधिकारी के समक्ष जमा कर दिये जायें या उनकी संतुष्टि के लिए यह प्रमाणित कर दिया जाये कि उस सर्टिफिकेट की राशि, ब्याज और लागत का भुगतान अधोहस्ताक्षरी को कर दिया गया है।

4.3 बेची जानी वाली संपत्ति पर अन्य व्यक्ति के किसी भी अधिकारी या जो बिक्री प्रक्रिया से सम्बन्ध रखते हैं, का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली लगाने, अधिग्रहण का प्रयास करने का सरोकार नहीं है। यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची में निर्धारित शर्तों के तहत और इसके बाद के नियमों के अधीन होगी।

4.4 अधोहस्ताक्षरी के श्रेष्ठ सूचना के अनुसार उल्लेखित अनुसूची में विवरणों को शामिल किया गया है लेकिन किसी प्रकार की त्रुटि, गलत विवरण या इस घोषणा में किसी तथ्य के छूक के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होगा।

5. (ए) विवरण के अनुसार आरक्षित मूल्य जिसके नीचे संपत्ति नहीं बेची जाएगी।

सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
भूमि एवं भवन के सभी भाग, जो श्रीमती गीता देवी, पति बिनोद कुमार बैठा के स्वामित्व में है, जिसमें आर.एस. प्लॉट संख्या 483, खाता संख्या 11 के अंतर्गत, कुल क्षेत्रफल 25 डिसमिल, मीजा - सिंदरौल, थाना - नामकुम (218), जिला - रांची में स्थित है, जो विक्रय विलेख संख्या 373/321 दिनांक 08.01.2011 के अंतर्गत आता है। उक्त संपत्ति की सीमाएं निम्नलिखित हैं: उत्तर: सनीचरवा उरांव, दक्षिण: विक्रेता की भूमि, पूर्व: खाली भूमि, पश्चिम: खाली भूमि	रु. 32,40,000/-	रु. 3,24,000/-

06. इच्छुक बोलीकर्ताओं को ईएमडी जमा करने की आवश्यकता होगी साथ में पैन कार्ड, पहचान पत्र, पता के लिए प्रमाण पत्र इत्यादि जमा करना होगा और कंपनी होने पर, बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि या कंपनी के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाला कोई भी अन्य दस्तावेज/ कंपनी का अर्दोनी भी जमा करना होगा, इसे वसूली अधिकारी के कार्यालय में अद्यतन 02.06.2026 को 04:00 बजे तक या इससे पहले तक जमा करना है और उसके बाद से 04.06.2026 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आयोजित होने वाली ई-नीलामी में भाग लेने के लिए योग्य होंगे। यदि नीलामी के अंतिम समय में अंतिम 5 मिनट में बोली लगाई जाती है, तो समापन का समय स्वतः ही 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाएगा।

07. इच्छुक बोलीकर्ताओं को ईएमडी राशि वसूली अधिकारी, डीआरटी, रांची के खाते में RTGS/ NEFT/ EFT द्वारा चालू खाता सं. 31598921087, भारतीय स्टेट बैंक, इंदरपुरी शाखा, रांची जमा करानी होगी।

08. बोली प्रपत्र के साथ ईएमडी की रसीद वसूली अधिकारी के कार्यालय, कृष्ण वसूली न्यायाधिकरण, पांचवी मंजिल, आर.आर.डी.ए. बिल्डिंग, कचहरी चौक, रांची में जमा की जाएगी।

09. बोली की राशि में वृद्धि रुपये 1,00,000/- तक की जाएगी, बोली की राशि या बोली लगाने वाले के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में, लॉट को तुरन्त पुनः नीलामी के लिए रखा जाएगा।

10. असफल बोलीकर्ता ई-नीलामी की प्रक्रिया बंद होने के तत्काल बाद ईएमडी राशि कार्यालय, वसूली अधिकारी, डीआरटी, रांची से सीधे प्राप्त कर सकते हैं।

11. सफल/ उच्चतम बोली लगाने वाले को ईएमडी को समायोजित करने के बाद बोली/ बिक्री राशि के 25% "वसूली अधिकारी, डीआरटी, रांची", के पक्ष में RTGS/ NEFT/ EFT द्वारा चालू खाता सं. 31598921087, भारतीय स्टेट बैंक, इंदरपुरी शाखा, रांची में देय होगा। इसे अगले बैंक कार्य दिवस यानी शाम 04:00 बजे तक इस ट्रिब्यूनल के पास जमा करना होगा। इसमें विफल रहने पर ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा।

12. सफल/ उच्चतम बोलीकर्ता को बिक्री राशि का शेष 75% वसूली अधिकारी, डीआरटी, रांची के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर के माध्यम से जमा करना होगा। इसे संपत्ति की नीलामी की तारीख से 15वें दिन या उससे पहले "वसूली अधिकारी, डीआरटी, रांची", के पक्ष में RTGS/ NEFT/ EFT द्वारा चालू खाता सं. 31598921087, भारतीय स्टेट बैंक, इंदरपुरी शाखा, रांची में देय होगा। यदि 15वां दिन रविवार या अन्य छुट्टी का दिन होता है तो इसदिन को छोड़कर 15वें दिन के बाद पहले कार्यालय दिवस में रु. 1,00,000/- तक 2% की दर से और रु. 1,00,000/- के उपर कुल राशि 1% की दर से पाउंडेज रजिस्ट्रार, डीआरटी, रांची के पक्ष में जमा करना है। (अगर डाक के माध्यम से शेष 75% राशि जमा करने के मामले में, उपरोक्त के अनुसार वसूली अधिकारी तक पहुंच जाना चाहिए)।

13. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में छूक होने के स्थिति में, बिक्री की नयी घोषणा जारी होने के उपरांत, संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। बिक्री का खर्च निकालने के बाद, यदि अधोहस्ताक्षरी के द्वारा जब्त कर सरकार के पास जमा कर सकते हैं तो छूक करने वाले केता को उस राशि के किसी भी हिस्से के लिए सभी दावे खारिज हो जायेंगे जिसके की इसको बाद में बेचा जाएगा।

14. उच्चतम बोली लगाने वाले को किसी भी लॉट का खरीदार घोषित किया जाएगा, बर्तें कि उसके द्वारा बोली लगाई गई राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। इस उच्चतम बोली को अस्वीकार/स्वीकार करने का निर्णय अधोहस्ताक्षरी का होगा, जबकि पेश कि गई कीमत इतनी स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत होती है कि ऐसा करने के लिए उसे अनुपयुक्त बना दिया जाए।

15. संपत्ति जैसी है और जहाँ है/ जो है बिना शिकायत के आधार पर बेची गई है। बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है/ आगाह किया जाता है कि वे SRO के साथ-साथ राजस्व अभिलेखों को सत्यापित करें और अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति की प्रकृति, विवरण, स्थिति, आदिभार, ग्रहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक बकाया आदि के बारे में खुद को संतुष्ट करें। सरकार/स्थानीय निकाय को देय सांविधिक देय/दायित्व आदि, यदि कोई हो, जो बिक्री सूचना/निविदा दस्तावेज में दर्शाए गए हैं, केता(ओं) द्वारा वहन किए जाएंगे।

16. कच्चे की सुपुर्दगी: नीलामी केता द्वारा सभी खर्चों और प्रासंगिक शुल्कों को वहन किया जाएगा। प्रमाणपत्र धारक बैंक/ वित्तीय संस्थान द्वारा बिक्री आय के विनियोग के अनुरोध पर केवल नीलामी केता द्वारा स्वामित्व विलेख प्राप्त करने और संपत्ति का कब्जा देने का मेमो दाखिल करने पर ही विचार किया जाएगा।

17. अधोहस्ताक्षरी किसी एक या सभी बोली को यदि अनुचित पाया गया तो स्वीकार/अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए नीलामी को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण के मुहर से रांची में 10 मार्च, 2026 को जारी।

विवाद/ त्रुटि की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।

वसूली अधिकारी - 1

SALE PROCLAMATION

FORM NO. 22 [See Regulation 37(1)]

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER IN THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, JHARKHAND AT RANCHI

RECOVERY PROCEEDING No. 60 of 2016

IN CASE NO. O.A. Case No. 328 of 2015

PROCLAMATION OF SALE UNDER RULES 38, 52(2) OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH THE RECOVERY OF DEBTS DUE TO BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS ACT 1993

Bank of Baroda, Ratu Road Branch, Ranchi Vs. M/s The Natural Atta & Others

To,

(1). M/s The Natural Atta, A Partnership Firm, having its registered office at Village:- Saher Semar, P.S. Ratu, District:- Ranchi and also Unit at Pandu, Bareera City, Nagri, District:- Ranchi:- 835303.

(2). Sri Pradip Baitha, S/o Mahadev Baitha, R/o House No. 35-A, Kute, P.O. New Saray, P.S. Jagarnathpur, District:- Ranchi.

(3). Sri Ramesh Mahto, S/o Tetru Mahto, R/o House No. 42, Saher Semar Toli, P.O. & P.S. Piska Nagri, District:- Ranchi:- 835303.

(4). Smt. Geeta Devi, W/o Binod Kumar Baitha, R/o Tiril Ashram, Kute, P.O. New Sarai, P.S. Jagarnathpur, District:- Ranchi:- 834004.

(1). Whereas you have failed to pay the sum of **Rs. 56,07,014.00 (Rupees Fifty Six Lacs Seven Thousand and Fourteen Only)** payable by you in respect of Recovery Certificate in O.A. Case No. 328 of 2015 issued by the Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Ranchi along with the interest and costs payable, as per the certificate.

(2). And whereas the undersigned has ordered the sale of the attached property mentioned in the Schedule below in satisfaction of the said certificate.

(3). And whereas as on the **10.03.2026** there will be due there under a sum of **Rs. 56,07,014.00 (Rupees Fifty Six Lacs Seven Thousand and Fourteen Only)** along with pendentelite and future interest @ 10% per annum with monthly rests from 22.06.2015 till full and final realization of the claim besides cost of Rs. 59,000/- (Rupees Fifty Nine Thousand Only), as per the certificate.(4). Notice is hereby given that, in the absence of any order of postponement, the said property shall be sold by **e-auction and bidding shall take place through "Online Electronic Bidding" through the website <https://drt.auctiontiger.net> of M/s E-Procurement Technologies Ltd. (Auction Tiger) on 04.06.2026 between 11:00 AM to 12:00 Noon with extension of 5 minutes duration after 12 noon if required.**

For further details contact : Office of the Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal, Ranchi, Contact No. 0651-2214021 and for property inspection contact Sri Sanjeev Kumar Verma, Chief Manager, Bank of Baroda, ROSARB, Ranchi. Mob. No. 7875641560.

4.1 The sale will be of the property of the certificate debtors above named as mentioned in the schedule below and the liabilities and claims attaching to the said property, so far as they have been ascertained, are those specified in the schedule against each lot.

4.2 The property will be put up for the sale in the lots specified in the schedule. If the amount to be realized is satisfied by the sale of a portion of the property, the sale shall be immediately stopped with respect to the remainder. The sale also be stopped if, before any lot is knocked down, the arrears mentioned in the said certificate, interest costs (including cost of the sale) are tendered to the officer conducting the sale or proof is given to his satisfaction that the amount of such certificate, interest and costs have been paid to the undersigned.

4.3 No officer of other person, having any duty to perform in connection with sale, however, either directly or indirectly bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the property sold. The sale shall be subject to the conditions prescribed in the Second Schedule of the Income tax Act, 1961 and the rules made there under and to the further following conditions.

4.4 The particulars specified in the annexed schedule have been stated to the best of the information of the undersigned, but the undersigned shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation.

(5). (a) The reserve price below which the property shall not be sold is as per details.

Details of Properties	Reserve Price	EMD
All that piece and parcel of land and building belongs to Smt. Geeta Devi, W/o Binod Kumar Baitha, comprising of R.S. Plot No. 483 under Khata No. 11, Area:- 25 decimals situated at Mouza:- Sidroul, P.S. Namkum (218), District:- Ranchi, covering under Sale Deed No. 373/321 dated 08.01.2011 butted and bounded as under: North: Sanicharwa Oraon, South: Vendor Land, East: Vacant Land, West: Vacant Land.	Rs. 32,40,000/-	Rs. 3,24,000/-

(6). The interested bidders are required to deposit EMD along with documents PAN Card, Identity Proof, Address Proof etc. and in the case of company, copy of resolution passed by the Board Members of the Company or any other documents claiming representation / attorney of the company also, latest by 02.06.2026 before 4.00 PM in the office of the Recovery Officer, DRT, Ranchi and thereafter they shall be eligible to participate in the e-auction to be held from 11.00 AM to 12.00 Noon on 04.06.2026. In case, bid is placed in the last 5 minutes of the closing time of the auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes.

(7). The intending bidders shall pay the EMD amount in the account of Recovery Officer, DRT, Ranchi through RTGS/ NEFT/EFT to Current Account No. 31598921087, State Bank of India, Indrapuri Branch, Ranchi.

(8). The receipt of EMD along with bid form shall be deposited before the Office of the Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal, 5th Floor, RRDA Building, Kutchery Chowk, Ranchi.

(9). The amount by which the biddings are to be increased shall be Rs. 1,00,000/- in the even of any dispute arising as to the amount of Bid, or as to the bidder, the lot shall at once be again put up to auction.

(10). The unsuccessful bidder shall take EMD directly from the Office of Recovery Officer, DRT, Ranchi immediately on closure of the e-auction sale proceeds.

(11). The successful/ highest bidder shall have to pay for 25% of the bid/sale amount after adjusting the EMD amount in the account of "Recovery Officer, DRT, Ranchi through RTGS/ NEFT/EFT to Current Account No. 31598921087, State Bank of India, Indrapuri Branch, Ranchi., by next bank working day i.e. by 04:00 PM with this Tribunal failing which the EMD shall be forfeited.

(12). The successful/highest bidder shall deposit in the account of "Recovery Officer, DRT, Ranchi through RTGS/ NEFT/EFT to Current Account No. 31598921087, State Bank of India, Indrapuri Branch, Ranchi. The balance 75% of the sale proceed before the Recovery Officer, DRT, Ranchi on or before 15th day from the date of auction of the property exclusive of such day or if the 15th day be Sunday or other holiday, then on the first office day after the 15th day along with poundage @ 2% upto Rs. 1,000/- and @1% on the excess of such gross amount over Rs. 1,000/- in favour of Registrar, DRT, Ranchi. (In case of deposit of balance amount of 75% through post, the same should reach the Recovery Officer as above).

(13). In case of default of payment within the prescribed period, the property shall be re-sold, after the issue of fresh Proclamation of Sale. The deposit, after defraying the expenses of the sale, may, if the undersigned thinks fit be forfeited to the Government and the defaulting purchaser shall forfeited all claims to the property of to any part of the sum for which it may subsequently be sold.

(14). The highest bidder shall be declared to be the purchaser of any lot provided that further that the amount bid by him is not less than the Reserve Price. It shall be in the discretion of the undersigned to decline/ acceptance of the highest bid when the price offered appears so clearly inadequate as to make it inadvisable to do so.

(15). The property is sold on as is and where is /on what it is/ no complaint basis. Bidders are advised/cautioned to verify with the SRO as well as the Revenue Records and shall satisfy themselves regarding the nature, description, condition, encumbrance, lien, charge, statutory dues, etc. over the property before submitting their bids. Statutory dues/liabilities etc. due to the Government/Local Body, if any, shown in the sale notice/tender document shall be borne by the purchaser(s).

(16). **Delivery of Possession** : - All expenses and incidental charges thereto shall be borne by the auction purchaser. Request for appropriation of sale proceeds by the Certificate Holder Bank/Financial Institution will be considered only upon the auction purchaser filing a memo of having received the title deeds and delivered possession of the property.

(17). The undersigned reserves the right to accept or reject any or all bids if found unreasonable or postpone the auction at anytime without assigning any reason.

Given under my hand and seal of this Tribunal at Ranchi on this 10th day of March, 2026

RECOVERY OFFICER-I